<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **101/21 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2021/335

अनवान्

1. श्री नाथुसिंह पिता हीरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
2. श्री रघुनाथसिंह पिता जवानसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
3. श्री किशनसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
4. श्री हिम्मतसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
5. श्री रोडसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानुसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
2. श्रीमती सोहनकुंवर पिता मोहनसिंह पत्नी गोपालसिंह राजपूत निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्रीमती धापुकुंवर पिता मोहनसिंह पत्नी भूरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
4. श्रीमती लीलाकुंवर पिता मोहनसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
5. श्री मांगुसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
6. श्री भेरूसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत निवासी महुडा तह. मावली।
7. श्रीमती मीराकुंवर पत्नी दिलीपसिंह राजपूत निवासी राणावतो का गुडा खेमली तह. मावली।
8. श्रीमती सुमित्रा पत्नी पुष्करलाल कुमावत निवासी 14 शिव कॉलोनी रेबारियों का गुढा ढिकली तह. गिर्वा।
9. श्रीमती रेखा पत्नी अम्बालाल कुमावत निवासी 14 शिव कॉलोनी प्रतापनगर रेबारियों की ढाणी तह. गिर्वा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>–: : निर्णय : :–</u>

दिनांक :– 28.08.2024

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 74, 75, 76, 77 किता 4 रकबा 9.7043 हेक्टेयर उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी सं. 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

तक के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 78, 79 किता 2 रकबा 2.8814 हेक्टेयर उपरोक्त आराजीयात वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में विपक्षी सं. 1 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 4 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 5 के नाम 1/2 हिस्सा के अनुसार अंकित हैं।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 6 के मौरूस श्री मोडसिंह जी के समय से चली आ रही हैं।
3. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 6 स्व. श्री मोडसिंह जी के वारिसान है जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

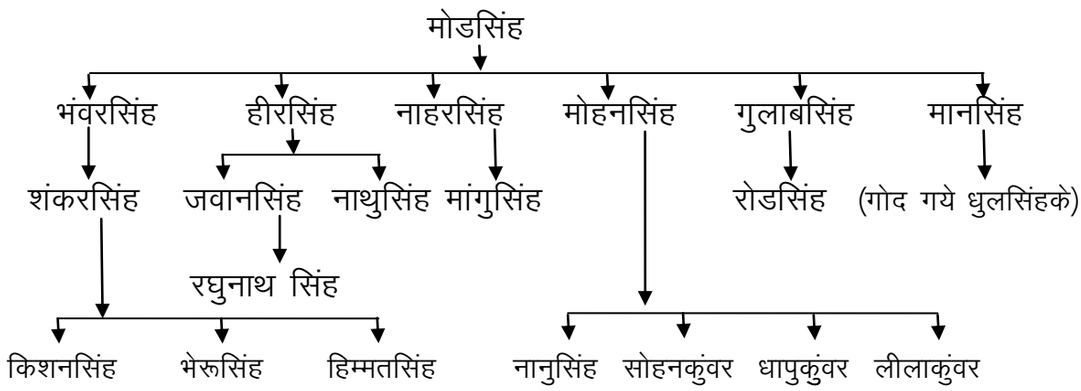

उपरोक्त सजरे के अनुसार मोड़सिंह जी के छः (6) पुत्र श्री भंवरसिंह, हीरसिंह, नाहरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह एवं मानसिंह हुए। जिसमें से श्री मानसिंह अपने बाल्यकाल में ही धूलसिंह जी के यहां गोद चले गये। जिससे धूलसिंह जी की समस्त चल–अचल सम्पति के स्वामि एवं अधिकारी श्री मानसिंह जी हुए। चूंकि हस्तगत इस प्रार्थना पत्र में मोड़सिंह जी की सम्पति का ही विवाद है, जिससे मानसिंह के वारिसों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, क्योंकि धूलसिंह जी की सम्पति बाबत कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त सजरे में वर्णित मोड़सिंह, भंवरसिंह, हीरसिंह, नाहरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह, मानसिंह, शंकरसिंह, जवानसिंह की मृत्यु हो चुकी है। भंवरसिंह के जीवनकाल में उनके एक पुत्र शंकरसिंह हुआ, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिसान प्रार्थी संख्या 3, 4 एवं विपक्षी संख्या 6 है। हीरसिंह के दो पुत्र जवानसिंह एवं नाथुसिंह हुए, जिनमें से जवानसिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसके एक पुत्र रघुनाथसिंह है, जो प्रार्थी संख्या 2 है। नाथुसिंह जी जीवित है, जो प्रार्थी संख्या 1 है। नाहरसिंह के एक पुत्र मांगुसिंह है, जो विपक्षी संख्या 5 है। मोहनसिंह के वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 है। गुलाबसिंह के एक पुत्र रोड़सिंह है जो प्रार्थी संख्या 5 है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ (क), (ख) की कृषि आराजीयात इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त है, जिससे आगे उक्त आराजीयात को वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
5. यह कि प्रथम बन्दोबस्त (पेमाईश)/(Settlement) में वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 107 होकर उक्त आराजी बिलानाम किस्म मगरी थी, जो राजकीय भूमि थी।
6. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 107 में से वादग्रस्त आराजीयात शिकमी (गेरखातेदार) काश्तकार के रुप में स्व. मोड़सिंह को अपने जीवनकाल में मिली किन्तु तत्समय मोड़सिंह के पुत्र श्री मोहनसिंह, जो कि होशियार एवं चालाक व्यक्ति था, उसने वादग्रस्त आराजीयात में से परिशिष्ट श्कश की आराजीयात गैरखातेदारी हक के रुप में अपने नाम तथा परिशिष्ट श्खश की आराजीयात को अपने एवं नाहरसिंह के नाम गैरखातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा ली।
7. यह कि उपरोक्त वर्णित इन्द्राज के कुछ ही समय पश्चात ग्राम पलाना खुर्द, तहसील मावली का सेटलमेन्ट (बन्दोबस्त पैमाईश) हुई, उस दोरान प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के पूर्वज एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज सर्वश्री भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, गुलाबसिंह ने एतराज किया कि वादग्रस्त आराजीयात तो पांचों भाई श्री भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह एवं गुलाबसिंह सभी की हिस्सा बराबर से है तो परिशिष्ट श्कश की आराजीयात अकेले मोहनसिंह व परिशिष्ट ख की आराजीयात मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के नाम पर कैसे दर्ज हो गई है तो इस पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा परिशोधन (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) पत्र तैयार किया गया एवं उसमें वर्तमान इन्द्राज में भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह के नाम का इन्द्राज किया गया किन्तु सेहवन से 1/2 हिस्सा मानसिंह पिता धूलसिंह का भी दर्ज कर दिया गया। जबकि श्री मानसिंह, श्री धुलसिंह के गोद चले जाने से उनका वादग्रस्त मोड़सिंह जी की आराजीयात में कोई अधिकार, हक एवं अधिपत्य शेष नहीं रहा था। उक्त खसरा परिशोधन की कार्यवाही में मोहनसिंह ने अपने भाई नाहरसिंह को अपने साथ मिलाकर सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत कर परिशिष्ट क की आराजीयात को मोहनसिंह ने अपने नाम व परिशिष्ट ख की आराजीयात को मोहनसिंह व नाहरसिंह दोनों के नाम दर्ज करवा दिया एवं खसरा परिशोधन में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के पूर्वाधिकारी की अनुपस्थिति बताकर उसे नामंजूर करवा दिया गया। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के पूर्वाधिकारी जो कि अनपढ़, अशिक्षित, भोले–भाले व्यक्ति थे व आपस में एक दूसरे पर अत्यन्त विश्वास करते थे, इस कारण उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं हो सका कि खसरा परिशोधन में गलत रूप से अनुपस्थिति बतलाकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

लिया गया है। जबकि मौके पर सभी पांचो (5) भाईयों का हिस्सा बराबर से कब्जा गत करीब 65 वर्षो से उनके जीवनकाल में उनका तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसों का लगातार आज दिन तक चला आ रहा है।

8. यह कि वर्णित प्रक्रम के आधार पर वर्तमान भू–प्रबन्ध की प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2030 में बनी जिसमें परिशिष्ट क की आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता श्री मोहनसिंह के नाम व परिशिष्ट ख की आराजीयात को मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के नाम हिस्सा बराबर से गैरखातेदारी हक से दर्ज कर दिया गया। यही इन्द्राज आगे से आगे दोहराया जाता रहने से वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दीयों में प्रार्थना पत्र अनुसार अंकित है।
9. यह कि वादग्रस्त आराजीयात स्व. मोड़सिंह की होने से उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पांचो पुत्रों भंवरसिंह, हीरसिह, नाहरसिंह, मोहनसिंह एवं गुलाबसिंह का विरासत के आधार पर हिस्सा बराबर से खातेदारी, अधिकार एवं अधिपत्य हुआ एवं उक्त पांचो पुत्रों के भी स्वर्गवास हो जाने से अब प्रार्थी संख्या 1, 2 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा से, प्रार्थी संख्या 3. 4 एवं विपक्षी संख्या 6 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा से, प्रार्थी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा से, विपक्षी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा से एवं विपक्षी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा से खातेदारी अधिकार एवं कब्जा है। किन्तु वादग्रस्त आराजीयात में से उपरोक्त वर्णितानुसार परिशिष्ट श्कश की आराजीयात अकेले मोहनसिह के नाम अंकित हो जाने से उनके स्वर्गवास के पश्चात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम व परिशिष्ट श्खश की आराजीयात मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 2 में वर्णितानुसार विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम कमशः 1/8, 1/8 हिस्सा के अनुसार एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम 1/2 हिस्से के अनुसार अंकित हो गयी है।
10. यह कि नोशनल पार्टीशन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में मौके पर उत्तर से दक्षिण कमशः भवरसिंह के वारिसान प्रार्थी संख्या 3, 4 एवं विपक्षी संख्या 6, मोहनसिंह के वारिस नानुसिंह, गुलाबसिंह के वारिस रोड़सिंह, नाहरसिंह के वारिस मांगुसिंह एवं हीरसिंह के वारिसान प्रार्थी संख्या 1, 2 का कब्जा है। सभी के कब्जों के बीच कांटे, थुहर की बाड एवं कहीं–कहीं पत्थर की कोट भी है तथा आराजी संख्या 75 एवं 76 के बीच पाल बंधी हुई है।
11. यह कि वादग्रस्त आराजीयात उपरोक्त वर्णितानुसार गलत प्रकार से राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जाने के कारण विपक्षी संख्या 1 से 5 अब प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 के खातेदारी अधिकारों को चुनौति देने लग गये है प्रार्थीगण को धमकीयां देने लग गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक, अधिकार नहीं है एवं वादग्रस्त आराजीयात उनके नाम अंकित होने से वे इसे अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देगें तथा प्रार्थीगण को बैदखल कर देगें, जिससे प्रार्थीगण को वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विवश होना पड़ा है।

12. यह कि वादग्रस्त आराजीयात उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जाने से अब विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण को धमकीयां देने लग गये है कि वे अब वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को जबरन बैदखल कर देगे तथा वादग्रस्त आराजीयात को अन्य अजनबी व्यक्तियों को अथवा भूमि दलालों को हस्तान्तरित कर देगें। इतना ही नहीं हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त आराजीयात में उपरोक्तानुसार खातेदारी अधिकार से राजस्व अभिलेखों में अंकन कराने बाबत कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वे इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगें तो इस वार्ता का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 2 से 4 ने एक नुमायशी विकय पत्र विपक्षी संख्या 7, 8 एवं 9 के पक्ष में दिनांक 10–08–2021 को निष्पादित करवा कर दिनांक 12–08–2021 को उप पंजीयक, मावली के वहां आराजी संख्या 77 के 3/4 हिस्से का करवा दिया। इस पर प्रार्थीगण ने उलाहना दिया तो विपक्षी संख्या 1 से 5 ने कहा कि अभी क्या हुआ, अभी तो वे सारी भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देगें एवं प्रार्थीगण को बैदखल कर देगें। विपक्षी संख्या 7 से 9 को कानूनी रुप से सह–खातेदारी एवं सह–अधिपत्य की भूमि में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि तीनों ही केतागण अजनबी व्यक्ति है। इस कारण से विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो गया है।

13. यह कि विपक्षी संख्या 6 वर्तमान समय में विदेश ओमान में होने से उसे इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण बनाया जाना सम्भव नहीं है, जिससे उसे विपक्षी के रुप में जोडा जा रहा है। विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है किन्तु आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

14. यह कि विपक्षीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसकी मदद से वे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने पर उतारु है एवं वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को जबरन बैदखल करने पर उतारु है, यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थीगण को अशोधनीय हानि होगी जबकि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस वास्ते विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

रोका जाना आवश्यक है, जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

15. यह कि वादग्रस्त आराजीयात मोड़सिंह जी के समय से चली आती रहने के कारण एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके उपरोक्त वर्णित पांचो पुत्रों का विरासत से हक, अधिकार तथा पांचो पुत्रों के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त वर्णितानुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 का हक, अधिकार होने के कारण, स्वर्गीय मोहनसिंह द्वारा भूमि को अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लेने से, तत्पश्चात मोहनसिंह एवं नाहरसिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो जाने के कारण, गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा विपक्षी संख्या 7 से 9 के पक्ष में नुमायशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जाने के कारण, विपक्षी संख्या 7 से 9 द्वारा जबरन कब्जा किये जाने बाबत प्रार्थीगण को धमकीया दिये जाने के कारण, विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बैदखल किये जाने की धमकीयां दिये जाने व हस्तान्तरित किये जाने की धमकीयां दिये जाने से व हाल ही में भूमि दलालों को मौके पर लाकर जमीन दिखाकर वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरित करने की धमकीयां दिये जाने एवं अंतिम बार दिनांक 18–08–2021 को उपरोक्त आशय की धमकीया विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं 7 से 9 द्वारा प्रार्थीगण को दिये जाने से अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत इस प्रार्थना पत्र का बिनाय पैदा हुआ।

16. अतः में निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं 7 से 9 के विरूद्ध आज ही यह अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं विपक्षी संख्या 7 से 9 मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, न ही प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बैदखल करे, विपक्षी संख्या 7 से 9 वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश नहीं करे, न ही इस प्रकार के कृत्य विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं विपक्षी संख्या 7 से 9 किसी अन्य व्यक्ति से ही करावें।

17. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब मय प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के खानदान के वारिसान का जो सजरा प्रस्तुत किया गया हैं, उसमें प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के पुत्रीयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया हैं वह अपूर्ण एवं गलत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के वारिसान भंवरसिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

देहान्त होने पर उनके पुत्र शंकरसिंह और शंकरसिंह के देहान्त के बाद उनके वारिसान के रूप में किशनसिंह, भैरूसिंह, हिम्मतसिंह को वारिसान बताया गया हैं लेकिन इसमें भी उनके द्वारा पुत्रीयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं, इसी प्रकार मोडसिंह के वारिसान के रूप में नाहरसिंह को बताया गया हैं और नाहरसिंह की मृत्यु के बाद सजरा खानदान में मांगूसिंह को बताया गया हैं, इसमें भी नाहरसिंह के वारिसान के रूप में उनकी पुत्रीयों चतरबाई, बंसतबाई, जसोदा, कमला, कंचन को सजरा खानदान में नहीं लिखाया गया हैं इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा नानूसिह खानदान प्रस्तुत किया गया हैं उसमें केवलमात्र पुरूष संतानों को ही समायोजित किया गया हैं, अन्य स्त्री संतानों एवं वारिसानों को सजरा खानदान में नहीं बताया गया हैं।

18. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद को वादग्रस्त जायदाद बताये जाने का कथन किया हैं, वास्तव में प्रार्थना पत्र की कलमसंख्या 1 के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ट ख में अंकित आराजियात वादग्रस्त नहीं होकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ठ क में अंकित आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज हैं, उपरोक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम उनके पूर्वज मोहनसिंह जी के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्राप्त होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हैं, उपरोक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम उनके पूर्वज मोहनसिंह जी के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्राप्त होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज हुई हैं, और विपक्षी संख्या 1 से 4 मौके पर हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं।

19. यह कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 107 होकर उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी।

20. यह कि प्रार्थीगण का यह कथन कि आराजी नम्बर 107 गैर खातेदार काश्तकार के रूप में स्व. मोडसिंह को अपने जीवनकाल में मिली, का कथन पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत है कि मोडसिंह जी के पुत्र श्री मोहनसिंह जी जो कि होशियार एवं चालाक व्यक्ति थे, इस कारण उन्होने प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ ष्कष एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात को अपने एवं नाहरसिंह के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा ली। तथ्य प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित सम्पूर्ण आराजियात एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई थी, और उसके बाद मोहनसिंह जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे, और परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात के शेष 1/2 हिस्से के विपक्षी संख्या 5 के पिता नाहरसिंह जी राजपूत को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात कभी भी मोडसिंह जी के नाम पर गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई थी, न ही उनके जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजियात पर उनका कोई कब्जा ही रहा था।

21. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात मोहनसिंह एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के खातेदारी हक की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज चली आ रही थी, और उनके देहान्त के बाद बतौर वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं नाहरसिंह के वारिसान के तौर पर विपक्षी संख्या 5 के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण का यह कथन कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा परिशोधन (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) पत्र तैयार किया गया एवं उसमें वर्तमान इन्द्राज में भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह के नाम का इन्द्राज किया गया, का कथन पूर्णत गलत हैं। इस मामले में पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह द्वारा मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को अपने नाम पर कराना चाहा, लेकिन उसमें भी पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज सफल नहीं हुए थे, और उनकी प्रार्थना को नामंजूर कर दिया गया था, और उस नामंजूर प्रार्थना पत्र के बाद प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, और वह कार्यवाही अन्तिम हो गई थी. इसके बाद प्रार्थीगण के पूर्वज एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 4 एवं 5 के पूर्वज के देहान्त के बाद पुनः उपरोक्त प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात मोडसिंह जी के नाम की होने के आधार पर जो उक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं, वह पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह जी के खातेदारी हक की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज थी, और उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 5 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हुई हैं, और उसी अनुसार मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 5 काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत है कि मौके पर सभी पांचों भाईयों का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

बराबर से हो उनकी मृत्यु के बाद वारिसानों में प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हो। वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी का एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात पर मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो, उन्ही के कब्जे काश्त में थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।

22. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।

23. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात स्व. मोडसिंह जी की नहीं थी, इस कारण प्रार्थीगण को विरासत के आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस कलम में मोडसिंह जी की आराजियात होने का कथन गलत अंकित किया हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।

24. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क में अंकित आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 हिस्से अनुसार काबिज भोग उपभोग कर रहे है है। प्रार्थीगण का इस कलम में कब्जे के बारे में जो भी कथन किये हैं, पूर्णतया गलत हैं। इस मामले में प्रार्थीगण का एवं विपक्षी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं हैं।

25. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर एवं परिशिष्ठ ख की विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं, जो उनके पूर्वज के देहान्त के बाद उन्हे विरासत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

26. यह कि विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा अपने हक एवं अधिकार के चलते एक विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 7 से 9 के पक्ष में आराजी नम्बर 77 के मुतलिक अपने हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित करा कब्जा सिपुर्द किया है। प्रार्थीगण का आराजी नम्बर 77 में कोई हिस्सा एवं अधिकार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि विपक्षी संख्या 7 से 9 उनके लिये अजनबी व्यक्ति हैं, पूर्णतया गलत हैं। आराजी नम्बर 77 पर खरीद दिनांक से हिस्से अनुसार विपक्षी संख्या 7 से 9 मालिक काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं।

27. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं इस कारण प्रार्थीगण को विभाजन का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

28. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 से 4 खातेदार काश्तकार होकर राजस्व रेकॉर्ड में भूमि उनके नाम पर दर्ज हैं, मौके पर काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण जबरन विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनके जायदाद से बेदखल करने पर आमादा हैं, इसके लिये वे अपनी ताकत के बल पर कोई भी कृत्य कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 से 4 का प्रथम दृष्टया मामला हैं, तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

29. यह कि प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजियात मोडसिंह जी के समय से चली आ रही हो, पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं विपक्षी संख्या 7 से 9 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। कारण कि विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को धमकी नहीं दी गई हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर कभी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा हैं।

30. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को हम विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

31. **विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि मौजा पलाना खुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 74, 75, 76, 77 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

4 रकबा 9.7043 हेक्टेयर उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विपक्षी सं. 1 से 4 तक के नाम हिस्से अनुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 78, 79 किता 2 रकबा 2.8814 हेक्टेयर उपरोक्त आराजियात वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/8 हिस्सा एवं मांगुसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) का 1/2 हिस्सा के अनुसार अंकित है।

32. यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की परिशिष्ठ क में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं श्री मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी हिस्से अनुसार खातेदार, काश्तकार, स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं श्री मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी हिस्से अनुसार काबिज होकर भोग एवं उपभोग कर रहे हैं।

33. यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की परिशिष्ठ क व ख में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं श्री मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हक अधिकार निहित नहीं हैं।

34. यह कि प्रार्थीगण आये दिन मौके पर विवाद करते रहते हैं, प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात में मर्जी अनुसार दखल अंदाजी करते हैं तथा अपनी ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी देते हैं, निर्माण कराने की धमकी देते है, और मौके पर कब्जा करने के लिये पत्थर एवं चुनाई के सामान डालने की धमकी देते हैं, साथ ही प्रार्थीगण विपक्षी सख्या 1 से 4 को धमकीयां दे रहे हैं कि वह वादग्रस्त आराजियात में जबरन काश्त करेगें, एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगें एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 को उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रवेश नहीं करने देगें। जबकि विपक्षी संख्या 1 से 4 उपरोक्त वर्णित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार हो, मौके पर काबिज होकर भोग उपभोग कर रहे हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में हैं, तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं क्रि प्रार्थीगण काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं ख में वर्णित आराजियात के संबंध में मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें, उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, निर्माण कराने की धमकी नहीं देवे, मौके पर पत्थर एवं चुनाई के सामान आदि नहीं डाले, विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनके वादग्रस्त की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अपनी ताकत के बल पर जबरन प्रवेश नहीं करें, कब्जा नहीं करें। यह कार्य न तो स्वयं करें, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे।

35. यह कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 4 से अपनी ताकत के बल पर जमीन हडप करने की धमकी दी तथा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं अन्य के विरूद्ध झूठे आधारों पर प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं प्रार्थीगण द्वारा धमकी दिये जाने से विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र हेतुक उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर जारी हैं।
36. अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं ख में वर्णित आराजियात के संबंध में प्रार्थीगण मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें, उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, निर्माण कराने की धमकी नहीं देवे, मौके पर पत्थर एवं चुनाई के सामान आदि नहीं डाले, विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, अपनी ताकत के बल पर जबरन प्रवेश नहीं करें, कब्जा नहीं करें। यह कार्य न तो स्वयं करें, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे।
37. **विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब मय प्रतिवाद** पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के खानदान के वारिसान का जो सजरा प्रस्तुत किया गया हैं, उसमें प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के पुत्रीयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया हैं वह अपूर्ण एवं गलत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा मोडसिंह जी के वारिसान भंवरसिंह के देहान्त होने पर उनके पुत्र शंकरसिंह और शंकरसिंह के देहान्त के बाद उनके वारिसान के रूप में किशनसिंह, भैरूसिंह, हिम्मतसिंह को वारिसान बताया गया हैं लेकिन इसमें भी उनके द्वारा पुत्रीयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं, इसी प्रकार मोडसिंह के वारिसान के रूप में नाहरसिंह को बताया गया हैं और नाहरसिंह की मृत्यु के बाद सजरा खानदान में मांगूसिंह को बताया गया हैं, इसमें भी नाहरसिंह के वारिसान के रूप में उनकी पुत्रीयों चतरबाई, बंसतबाई, जसोदा, कमला, कंचन को सजरा खानदान में नहीं लिखाया गया हैं इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया हैं उसमें केवलमात्र पुरूष संतानों को ही समायोजित किया गया हैं, अन्य स्त्री संतानों एवं वारिसानों को सजरा खानदान में नहीं बताया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

38. यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद को वादग्रस्त जायदाद बताये जाने का कथन किया हैं, वास्तव में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ख में अंकित आराजियात वादग्रस्त नहीं होकर प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हैं, उपरोक्त आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम उनके पूर्वज मोहनसिंह जी के देहान्त के बाद एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम उनके पूर्वज नाहरसिंह जी राजपूत के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर प्राप्त होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज हुई हैं, और विपक्षी संख्या 1 से 4 तथा विपक्षी संख्या 5 मौके पर हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं।
39. यह कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 107 होकर उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी।
40. यह कि प्रार्थीगण का यह कथन कि आराजी नम्बर 107 गैर खातेदार काश्तकार के रूप में स्व. मोडसिंह को अपने जीवनकाल में मिली, का कथन पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत है कि मोडसिंह जी के पुत्र श्री मोहनसिंह जी जो कि होशियार एवं चालाक व्यक्ति थे, इस कारण उन्होने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात को अपने एवं नाहरसिंह के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा ली। वास्तव में प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई थी, और उसके बाद मोहनसिंह जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे, और परिशष्ठ ख में वर्णित आराजियात के शेष 1/2 हिस्से के विपक्षी संख्या 5 के पिता नाहरसिंह जी राजपूत को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात कभी भी मोडसिंह जी के नाम पर गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई थी, न ही उनके जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजियात पर उनका कोई कब्जा ही रहा था।
41. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात मोहनसिंह एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के खातेदारी हक की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज चली आ रही थी, और उनके देहान्त के बाद बतौर वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं नाहरसिंह के वारिसान के तौर पर विपक्षी संख्या 5 के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण का इस कलम में यह कथन कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

खसरा परिशोधन (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) पत्र तैयार किया गया एवं उसमें वर्तमान इन्द्राज में भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह के नाम का इन्द्राज किया गया, का कथन पूर्णत गलत हैं। इस मामले में पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह, गुलाबसिंह द्वारा मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को अपने नाम पर कराना चाहा, लेकिन उसमें भी पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज सफल नहीं हुए थे, और उनकी प्रार्थना को नामंजूर कर दिया गया था, और उस नामंजूर प्रार्थना पत्र के बाद प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, और वह कार्यवाही अन्तिम हो गई थी, इसके बाद प्रार्थीगण के पूर्वज एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 4 एवं 5 के पूर्वज के देहान्त के बाद पुनः उपरोक्त प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर यह वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात मोडसिंह जी के नाम की होने के आधार पर जो उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है, वह पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह जी के खातेदारी हक की होकर राजस्व रेकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज थी, और उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 5 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हुई हैं, और उसी अनुसार मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 5 काबिज हो भोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया गलत हैं कि मौके पर सभी पांचों भाईयों का हिस्सा बराबर से हो उनकी मृत्यु के बाद वारिसानों में प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा हो। वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी का एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात पर मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो, उन्ही के कब्जे काश्त में थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।

42. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

43. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात स्व. मोडसिंह जी की नहीं थी, इस कारण प्रार्थीगण को विरासत के आधार पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस कलम में मोडसिंह जी की आराजियात होने का कथन गलत अंकित किया हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम एवं परिशिष्ठ ख की आराजियात मोहनसिंह एवं विपक्षी संख्या 5 के पूर्वज नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 को विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान में उन्ही के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हो वही भोग उपभोग कर रहे हैं।
44. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क में अंकित आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण का इस कलम में कब्जे के बारे में जो भी कथन किये हैं, पूर्णतया गलत हैं। इस मामले में प्रार्थीगण का एवं विपक्षी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं हैं।
45. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ठ क की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर एवं परिशिष्ठ ख की विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं, जो उनके पूर्वज के देहान्त के बाद उन्हे विरासत से हिस्से अनुसार प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उपरोक्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारों पर उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।
46. यह कि विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी कोई धमकी नहीं दी गई हैं, विपक्षी संख्या 5 द्वारा अपने हिस्से की कोई भी भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की हैं, हस्तान्तरित नहीं की हैं, प्रार्थीगण का उपरोक्त परिशिष्ठ ख की भूमि में कोई हक, अधिकार एवं कब्जा नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध गलत आधारों पर उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।
47. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में अंकित आराजियात में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
48. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। विपक्षी संख्या 5 खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

होकर राजस्व रेकॉर्ड में भूमि उसके नाम पर दर्ज हैं, मौके पर काबिज हो भोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थीगण जबरन विपक्षी संख्या 5 को उसकी जायदाद से बेदखल करने पर आमादा हैं, इसके लिये वे अपनी ताकत के बल पर कोई भी कृत्य कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 5 का प्रथम दृष्टया मामला हैं, तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

49. यह कि प्रार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त आराजियात मोडसिंह जी के समय से चली आ रही हो, पूर्णतया गलत हैं। प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। कारण कि विपक्षी संख्या 5 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को धमकी नहीं दी गई हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर कभी प्रार्थीगण का कब्जा नहीं रहा हैं।
50. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विपक्षी संख्या 5 के विरूद्ध खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।
51. **विपक्षी सं. 5 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि मौजा पलाना खुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द के परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 78, 79 किता 2 रकबा 2.8814 हेक्टेयर उपरोक्त आराजियात वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम 1/8 हिस्सा एवं मांगुसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी महुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) का 1/2 हिस्सा के अनुसार अंकित है।
52. यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 श्री मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी हिस्से अनुसार खातेदार, काश्तकार, स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी हिस्से अनुसार काबिज होकर भोग एवं उपभोग कर रहे हैं।
53. यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की ख में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 श्री मांगूसिंह पिता नाहरसिंह जी के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई हक अधिकार निहित नहीं हैं।
54. यह कि प्रार्थीगण आये दिन मौके पर विवाद करते रहते हैं, प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात में मर्जी अनुसार दखल अंदाजी करते हैं तथा अपनी ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी देते हैं, निर्माण कराने की धमकी देते है, और मौके पर कब्जा करने के लिये पत्थर एवं चुनाई के सामान को लाने की धमकी देते हैं, साथ ही प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 5 को धमकीयां दे रहे हैं कि वह वादग्रस्त आराजियात में जबरन काश्त करेगें, एवं विपक्षी संख्या 5 को उसके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगें एवं विपक्षी 5 को उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रवेश नहीं करने देगें। इस कारण प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं क्योंकि विपक्षी संख्या 5 प्रार्थना पत्र की परिशिष्ठ ख में वर्णित भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार एवं काश्तकार हैं, तथा भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहा हैं।

55. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में हैं, तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं कि प्रार्थीगण मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें, उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, निर्माण कराने की धमकी नहीं देवे, मौके पर पत्थर एवं चुनाई के सामान आदि नहीं डाले, विपक्षी संख्या 5 को उसके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, अपनी ताकत के बल पर जबरन प्रवेश नहीं करें, कब्जा नहीं करें। यह कार्य न तो स्वयं करें, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे, इस आशय की डिक्री विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित फरमाई जावें। जिस हेतु उक्त काउन्टर वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

56. यह कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5 को अपनी ताकत के बल पर जमीन हडप करने की धमकी दी तथा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की नियत से विपक्षी संख्या 5 एवं अन्य के विरूद्ध झूठे आधारों पर प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं प्रार्थीगण द्वारा धमकी दिये जाने से विपक्षी संख्या 5 को प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र का वाद हैतुक उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर जारी हैं।

57. अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि काउन्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजियात के संबंध में प्रार्थीगण मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं करें, उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, निर्माण कराने की धमकी नहीं देवे, मौके पर पत्थर एवं चुनाई के सामान आदि नहीं डाले, विपक्षी संख्या 5 को उसके कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें, अपनी ताकत के बल पर जबरन प्रवेश नहीं करें, कब्जा नहीं करें। यह कार्य न तो स्वयं करें, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

58. **प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 से 4 के काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब** पेश कर निवेदन किया कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की परिशिष्ट क एवं परिशिष्ट ख में प्रार्थीगण का भी खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य निहित है एवं इसी की घोषणा हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं श्री मांगूसिंह पिता श्री नाहरसिंह जी का ही हिस्से अनुसार काबिज होकर भोग–उपभोग करने का कथन पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि उपरोक्त परिशिष्ट श्कश एवं श्खश में अंकित आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 107 थे जो स्व. श्री मोड़सिंह जी को शिकमी काश्तकार के रुप में मिली थी। उक्त आराजी पर स्व. मोड़सिंह जी के जीवनकाल में ही उनके वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के बाप–दादाओं के मध्य उत्तर से दक्षिण आपसी मौखिक बंटवाड़ा हो गया था एवं श्री मोड़सिंह जी के वारिसान तत्समय से अर्थात गत 50 से भी अधिक वर्षों से इसीनुसार कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्तानुसार मौखिक विभाजन के फलस्वरुप वर्तमान आराजी संख्या 74 पर प्रार्थी संख्या 3 श्री किशनसिंह, प्रार्थी संख्या 4 श्री हिम्मतसिंह, विपक्षी संख्या 6 श्री भेरुसिंह का कब्जा है। इसी प्रकार आराजी संख्या 75 पर विपक्षी संख्या 1 श्री नानूसिंह, विपक्षी संख्या 2 श्रीमती सोहनकुंवर, विपक्षी संख्या 3 श्रीमती धापूकुंवर, विपक्षी संख्या 4 श्रीमती लीलाकुंवर का कब्जा है। आराजी संख्या 76 पर प्रार्थी संख्या 5 श्री रोड़सिंह का कब्जा है। आराजी संख्या 77 पर विपक्षी संख्या 5 श्री मांगूसिंह का कब्जा है। आराजी संख्या 78, 79 पर प्रार्थी संख्या 1 श्री नाथूसिंह एवं प्रार्थी संख्या 2 श्री रघुनाथसिंह का कब्जा है। हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 का उपरोक्तानुसार कब्जा होकर उक्त सभी कब्जेधारियों के मध्य थोहर की बाड एवं कहीं–कहीं पत्थर की कच्ची कोट होकर सभी कब्जेधारियों के बाडियें अलग–अलग होकर सभी की अलग–अलग लकडी एवं कांटे की फाटके लगी हुई है।

59. वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का भी हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य है। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब मे स्त्रीयो को पक्षकार नही बनाने बाबत जो कथन लिया गया है वह अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही है।

60. विपक्षी संख्या 1 से 4 का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न ही सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में है। प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार कोई भी अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है अपितु विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं 7 से 9 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारीत किया जाना आवश्यक है। विपक्षी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 4 को प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न नहीं होता है।

61. अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सपरिव्यय निरस्त फरमाया जावें।

62. **प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 5 के काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब** पेश कर निवेदन किया कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की परिशिष्ट ख में प्रार्थीगण का भी खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य निहित है एवं इसी की घोषणा हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 श्री मांगूसिंह पिता श्री नाहरसिंह जी का ही हिस्से अनुसार काबिज होकर भोग–उपभोग करने का कथन पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि उपरोक्त परिशिष्ट क एवं ख में अंकित आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 107 थे जो स्व. श्री मोड़सिंह जी को शिकमी काश्तकार के रुप में मिली थी। उक्त आराजी पर स्व. मोडसिंह जी के जीवनकाल में ही उनके वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के बाप–दादाओं के मध्य उत्तर से दक्षिण आपसी मौखिक बंटवाड़ा हो गया था एवं श्री मोडसिंह जी के वारिसान तत्समय से अर्थात गत 50 से भी अधिक वर्षों से इसीनुसार कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्तानुसार मौखिक विभाजन के फलस्वरुप वर्तमान आराजी संख्या 74 पर प्रार्थी संख्या 3 श्री किशनसिंह, प्रार्थी संख्या 4 श्री हिम्मतसिंह, विपक्षी संख्या 6 श्री भेरुसिंह का कब्जा है। इसी प्रकार आराजी संख्या 75 पर विपक्षी संख्या 1 श्री नानूसिंह, विपक्षी संख्या 2 श्रीमती सोहनकुंवर, विपक्षी संख्या 3 श्रीमती धापूकुंवर, विपक्षी संख्या 4 श्रीमती लीलाकुंवर का कब्जा है। आराजी संख्या 76 पर प्रार्थी संख्या 5 श्री रोड़सिंह का कब्जा है। आराजी संख्या 77 पर विपक्षी संख्या 5 श्री मांगूसिंह का कब्जा है। आराजी संख्या 78, 79 पर प्रार्थी संख्या 1 श्री नाथूसिंह एवं प्रार्थी संख्या 2 श्री रघुनाथसिंह का कब्जा है। हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 का उपरोक्तानुसार कब्जा होकर उक्त सभी कब्जेधारियों के मध्य थोहर की बाड एवं कहीं–कहीं पत्थर की कच्ची कोट होकर सभी कब्जेधारियों के बाडियें अलग–अलग होकर सभी की अलग–अलग लकडी एवं कांटे की फाटके लगी हुई है।

63. वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का भी हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य है। विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब मे स्त्रीयो को पक्षकार नही बनाने बाबत जो कथन लिया गया है वह अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

64. विपक्षी संख्या 5 का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न ही सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में है। प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार कोई भी अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है अपितु विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं 7 से 9 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारीत किया जाना आवश्यक है।

65. विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न नहीं होता है।

66. अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सपरिव्यय निरस्त फरमाया जावें।

67. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में लडकियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का बराबर–बराबर कब्जा चला आ रहा हैं। मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बंटवाडा कर रखा हैं। सेटलमेन्ट के दौरान फर्द इन्तलाफ इन्द्राज खसरा में पांचों भाईयों का नाम अंकित किया गया था जिसको अनुपस्थिति में नामजुंर किया गया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मौरूसी भूमि हैं। जिसमें हम प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस होने से विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1976 Page 18, RRD 1965 Page 120, AIR 1977 Rajasthan Page 796, RRD 2020 Page 82, RRD 2020 Page 309, RRD 1975 Page 85, 2021(4) CIV.C.C.29 Jitendra singh vs The State of M.P. , RBJ 2020 Page 726, RRD 2004 Page 117 पेश किये।

68. अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद को वादग्रस्त जायदाद बताये जाने का कथन किया है वास्तव में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात वादग्रस्त नहीं होकर प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज है उपरोक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम उनके पूर्वज मोहनसिंह जी के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज हुई है इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है उपरोक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम उनके पूर्वज मोहनसिंह जी के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 को प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज हुई है और विपक्षी संख्या 1 से 4 मौके पर हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहे है।

69. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 107 होकर उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। आराजी नम्बर 107 गैर खातेदार काश्तकार के रूप में स्वर्गीय मोडसिंह को अपने जीवनकाल में मिली का कथन पूर्णतया गलत है ।

70. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ठ क में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात एवं परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मोहनसिंह जी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई थी और उसके बाद मोहनसिंह जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे और परिशिष्ठ ख में वर्णित आराजीयात के शेष 1/2 हिस्से के विपक्षी संख्या 5 के पिता नाहरसिंह जी राजपूत को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे ।

71. यह कि इस मामले के पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज भंवरसिंह, नाहरसिंह, हीरसिंह, मोहनसिंह गुलाबसिंह द्वारा मोहनसिंह एवं नाहरसिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को अपने नाम पर कराना चाहा लेकिन उसमें भी पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज सफल नहीं हुए थे और उनकी प्रार्थना को नामंजूर कर दिया गया था और उस नामंजूर प्रार्थना पत्र के बाद प्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और वह कार्यवाही अन्तिम हो गई थी इसके बाद प्रार्थीगण के पूर्वज एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 4 एवं 5 के पूर्वज के देहान्त के बाद पुनः उपरोक्त प्रार्थीगण द्वारा गलत आधारो पर यह प्रार्थना पत्र एवं वाद गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है।

72. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात परं विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 हिस्से अनुसार काबिज हो भोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 का परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात पर कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है ।

73. यह कि इस मामले में प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें मोडसिंह जी के खानदान के वारिसान का जो सजरा प्रस्तुत किया गया है वह भी अधूरा प्रस्तुत किया गया है, सजरे में स्त्री संतानो एवं वारिसानो को सजरा खानदान में नहीं बताया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

74. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ठ क एवं परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात के खातेदार काश्तकार विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं विपक्षी संख्या 5 है और उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर दर्ज हो विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 5 का कब्जा हो वे भोग उपभोग कर रहे है ऐसी स्थिति में खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रार्थीगण कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और वह भी ऐसी स्थिति में जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक, अधिकार नहीं है कब्जा नहीं है। इस सम्बंध में विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :– 1 – 2015(1) DNJ Rev. Page 59, 2 – 2015(1) DNJ Rev. Page 67

75. इस मामले में विपक्षी संख्या 5 की ओर से काउन्टर प्रार्थना पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है तथ्यो परिस्थितियो कब्जा एवं रेकार्डेड खातेदार होने के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 5 का है रेकोर्डेड खातेदार होने से सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी विपक्षी संख्या 5 को होने वाली है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक है और विपक्षी संख्या 5 द्वारा चाही गई दाद दिलाई जावे।

76. अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो एवं विधिक स्थिति के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे ।

77. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होना बताकर वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि हमारे परिवार के मौरूस मोडसिंह के समय से ही चली आ रही हैं परन्तु राजस्व रेकार्ड में मोहनसिंह का नाम दर्ज हो गया परन्तु मौके पर विभाजन कर हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण अलग अलग काबिज हैं जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री भानसिंह पिता केसरसिंह, श्री सार्दुलसिंह पिता केसरसिंह, श्री खुमाणसिंह पिता छगनसिंह निवासी महुडा तह. मावली के शपथ पत्र पेश किये गये। शपथ पत्र में शपथकर्ता द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को हम अच्छी तरह जानते हैं। वादग्रस्त आराजीयात के मौके विभाजन के अनुसार आराजी सं. 74 पर श्री किशनसिंह, श्री हिम्मतसिंह श्री भेरूसिंह पुत्र शंकरसिंह का कब्जा है, आराजी नम्बर 75 पर श्री नानुसिंह, श्रीमती [illegible], श्रीमती धापुकुंवर, श्रीमती लीला कुंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested

पिता मोहनसिंह राजपूत का कब्जा है, आराजी नम्बर 76 पर श्री रोडसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत का कब्जा हैं, आराजी नम्बर 77 पर श्री मांगुसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत का कब्जा हैं, आराजी नम्बर 78, 79 पर श्री नाथुसिंह पिता हीरसिंह एवं रघुनाथसिंह पिता जवानसिंह का कब्जा हैं। इससे स्पष्ट है कि मौके पर उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हो सकता हैं। यदि विपक्षीगण जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती हैं साथ ही विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षीगण को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी तथा मौके पर विवाद भी नहीं बढ़ेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार एवं विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार योग्य पाये जाते है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 74, 75, 76, 77 किता 4 रकबा 9.7043 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 78, 79 किता 2 रकबा 2.8814 हेक्टेयर भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। एक दूसरे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:59:46 IST
Reason: SelfAttested